Dainik Bhaskar 01.04.2017

कैग ने खोली वित्तीय कुप्रबंधन की पोल, कर्जदारी बढ़कर 41 हजार करोड़ तक पहुंची

कर्ज में डूबा हिमाचल, अगले सात साल में लौटाना होगा 62 फीसदी

भास्कर न्यूज | शिमला

कैग रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है। राज्य सरकार सीधे तौर पर कर्ज के जंजाल में फंसता नजर आ रहा है। सरकार को अपने उधार की राशि का 62 फीसदी अगले सात साल में वापस करनी होगी। सरकार पर कर्ज की राशि भी बढ़कर 41 हजार 197 करोड़ तक पहुंच गई है। इस कर्ज का 62 फीसदी यानि 25 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि हिमाचल को अगले सात साल में लौटानी होगी। प्रदेश सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में ऋण ली जाने वाली राशि से 32 फीसदी राशि ऋणों के भुगतान में ही अदा करनी होगी। राज्य में एक साल में ऋण में आठ फीसदी का इजाफा हुआ है, जो कि किसी भी अर्थ व्यवस्था के लिए सही नहीं है।

- एक साल में बढ़ा आठ फीसदी कर्ज
- अगले साल की उधारी का 32 फीसदी भी ऋण चुकानों में करना होगा अदा
- 142.55 करोड़ का फंड अधूरे प्रोजेक्टों में फंसा

वित्तीय वर्ष 2015-16 में हिमाचल का खर्च 2896 करोड़ बढ़ा है। वहीं सरकार के राजस्व खर्च में 2516 करोड़ यानि 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार के राजस्व खर्च 19 हजार 787 करोड़ से बढ़कर 22 हजार 303 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि इसका हिस्सा 87 फीसदी पिछले साल की तरह ही रहा है। राज्य में केंद्र से मिलने वाले फंड की निगरानी के लिए कोई एक एजेंसी नहीं बनाई गई है। केंद्र सरकार के नियमों के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 364.57 करोड़ का बजट सीधे ही राज्य सरकार की एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिया है।

राज्य में प्रोजेक्ट के समय पर पूरा न होने के कारण 142.55 करोड़ का फंड अधूरे प्रोजेक्टों के कारण फंसा है। इन अधूरे प्रोजेक्टों की संख्या 12 है। इन प्रोजेक्टों का काम पूरा होता तो लोगों को प्रोजेक्टों का लाभ मिलता, वहीं केंद्र से मिले धन का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो सका।

अफसरों की सुस्ती से 103 करोड़ का चूना

आबकारी, राजस्व और परिवहन विभाग में अपने ही पैसों की वसूली नहीं कर पाए

भास्कर न्यूज | शिमला

अधिकारियों की सुस्ती से हिमाचल प्रदेश को 103 करोड़ रुपए का चुना लगा है। करों की कम वसूली और देय राशि को समय पर न वसूलने से यह राशि सरकार को नहीं मिल सकी है। आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और वन विभाग के अधिकारी यदि समय रहते कार्रवाई करते तो सरकार के 103 करोड़ रुपए का बचाया जा सकता था। इसमें सबसे अधिक राशि बिक्री और व्यापार पर कर, मूल्य वर्धित कर 51.40 करोड़ रुपए की वसूली विभाग की ओर से पट्टेदारों से वसूल न किए जाने से सरकारी खजाने में नहीं आ सके। इसके अलावा अन्य विभागों में भी कर की वसूली न किए जाने से करोड़ों रुपए सरकारी खाते में नहीं आ सके।

इनसे नहीं हुई वसूली : पट्टेदारों से पट्टा राशि की अवसूली से 51.40 करोड़ रुपए टोल बैरियरों के पट्टेदारों से वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर की गलत दर लागू करने से 0.54 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई और 0.41 करोड़ रुपए का ब्याज नहीं मिल सका। अमान्य डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण सांविधिक पत्रों की स्वीकृति से 47.90 लाख कम मिले और 41.83 लाख रुपए कम ब्याज मिला है। प्रवेश कर का भुगतान न करने के कारण 3.51 करोड़ रुपए कम अर्जित हो पाए। सकल बिक्री के गलत निर्धारण से 0.83 करोड़ की राजस्व हानि हुई है। इसके अलावा राज्य आबकारी में बिक्री केंद्रों को खोलने पर 8.59 करोड़ रुपए की कम वसूली व ब्याज के तौर पर 1.3 करोड़ रुपए कम मिले हैं। न्यूनतम गारंटेड कोटा से कम उठाने पर 5.34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी से 99.61 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस वसूली से 43.83 लाख का नुकसान हुआ। शराब की भट्टी, बॉटलिंग प्लांट में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की अवसूली से 34.77 लाख का नहीं मिल पाए। देसी शराब के बोतली करण पर लाइसेंस फीस के तौर पर 28.75 लाख और फ्रैंचाइजी फीस 5.39 लाख की वसूली नहीं की। केवल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क वसूल न करने से 0.55 करोड़ का नुकसान हुआ है।

स्टांप शुल्क की ली गई कम वसूली

राजस्व विभाग की ओर से निर्मित ढांचे पर स्टांप शुल्क कम लेने पर 0.79 करोड़ की कम वसूली हुई। गलत मूल्यांकन किए जाने से 0.56 करोड़ के स्टांप शुल्क और 27.94 अन्य का नुकसान हुआ। गलत दरें लागू करने से 31.67 लाख की अल्प वसूली हुई। प्रचलित बाजारी दरों को न अपनाने से 10.64 लाख का नुकसान हुआ। वहीं परिवहन विभाग में टोकन टैक्स की मांग न करने से 4.09 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में न लाने से 8.97 लाख का नुकसान हुआ। विशेष पथ कर न किए जाने से 1.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

वन विभाग में भी नुकसान

इसके अलावा वन विभाग में इमारती लकड़ी के गैर निपटान के परिणामस्वरूप 33.70 लाख मूल्य वर्धित कर और 2.79 करोड़ का राजस्व अवरोध हुआ। रॉयल्टी की अल्प वसूली से 9.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वृक्षों की लागत की अवसूली से 32.50 लाख और 3.93 लाख रुपए मूल्य वर्धित कर का नुकसान हुआ। विस्तार फीस की मांग न किए जाने से 17.20 लाख का नुकसान हुआ।

2944 प्रोजेक्टों का यूसी तक नहीं दे सकी सरकार

राज्य सरकार 2944 प्रोजेक्टों का यूसी तक नहीं दे सकी। इस कारण सरकार को आगे मिलने वाले 2225 करोड़ की राशि मिलने में देरी हुई। इसके साथ ही सभी विभागों में होने वाले विकासात्मक कार्यों में देरी हुई। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाले विकास कार्यों में देरी हुई, इसके साथ ही आम जनता को केंद्र की योजनाओं के बावजूद कोई लाभ तक नहीं मिल सका।

कर्ज की राशि से राज्य राजस्व आय का 176 फीसदी

हिमाचल में कर्ज की राशि राजस्व आय का 176 फीसदी है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकार जितना एक साल में कमाती है, उससे दोगुना कर्ज हिमाचल प्रदेश पर है। कुल सकल घरेलू उत्पाद में भी कर्ज की हिस्सेदारी 37 फीसदी पहुंच गई है। राज्य सरकार को उभरने के लिए आने वाले समय में सख्त वित्तीय फैसले लेने पड़ सकते हैं, ऐसे फैसले पर अब हिमाचल की नजरें होंगी।

ऊर्जा राज्य में बेकार ही लगा दिए 2.19 करोड़ के उपकरण

बिजली के प्रोजेक्ट का काम पूरा न होने से 73.6 करोड़ हानि

• देरी के कारण 17.92 करोड़ गंवाए, बोलियों के गलत मूल्यांकन से 2.55 करोड़ का नुकसान

भास्कर न्यूज | शिमला

हिमाचल प्रदेश स्टेट बिजली बोर्ड लिमिटेड की ओर से समय पर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं विकास कार्यक्रम को समय पर पूरा न किए जाने पर 73.6 करोड़ की हानि उठानी पड़ी है। इसके अलावा प्रोजेक्टों के समय पर पूरा न होने पर भारत सरकार की ओर से 17.92 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। इसके अलावा कंपनी ठेकेदारों की ओर से जमा करवाए जाने वाले एंट्री टैक्स को काटने में भी विफल रही है जिसके चलते अब कर और ब्याज के रूप में 8.64 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे। वहीं कंपनी की ओर से ठेकेदारों के साथ औपचारिकताओं को सही ढंग से पूरा न करने की वजह से 2.43 करोड़ रुपए की पेनल्टी को लेने में भी विफलता मिली है।

कंपनी को जीआईतार को किलोग्राम आधार के स्थान पर संख्या के आधार पर बोलियों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 2.55 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ा है।

18.46 करोड़ नहीं मिले: कंपनी सरकार के निर्देशों में निर्धारित की गई राशि से कम बैंक गारंटी तय किए जाने और विलंब के कारण 18.46 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। कंपनी की ओर से अपनी क्षेत्रिय इकाइयों को जल विद्युत परियोजनाओं पर रियल टाइम ऑनलाइन वॉटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाने में सरकार की ओर से दी गई छूट के बारे में समय पर 2.19 करोड़ रुपए की राशि के उपकरणों का व्यय बेकार गया।

छात्रवृत्ति बांटने में धांधली, अवैध कब्जे हटाने में भी रहे नाकाम

सिटी रिपोर्टर | शिमला

सीएजी की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट ने कहा है कि सरकार वन भूमि पर अवैध कब्जे हटाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति बांटने में भारी धांधली सामने आई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम मान्यता प्राप्त संस्थानों पर एससी, एसटी व अन्य पिछड़ा वर्गों को वित्तीय सहायता के लिए दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग ने 2014-15 के दौरान 2588 छात्रों को 9.59 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बांट दी गई। इन संस्थानों को यूजीसी की ओर से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था। शिक्षा विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर स्टूडेंट को यह छात्रवृत्ति आवंटित की। विभाग ने कैग को अपने जवाब में बताया कि जून 2016 के इस मामले को बैंकों के समक्ष उठाकर दो संस्थानों में दी गई राशि को वापस लौटा दिया जाएगा।

वन भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मुहिम पर सवाल खड़े किए हैं। मार्च 2016 तक प्रदेश में 43,086 मामलों में 9543 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था। मार्च 2016 तक राजस्व व वन न्यायालयों में 3572 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के कुल 15409 मामले लंबित हैं। खाली किए गए वन क्षेत्रों में फैंसिंग नहीं की गई। उच्च न्यायालयों के निर्देशों के बाद फैंसिंग की लागत के 46.76 लाख अतिक्रमणकारियों से वसूल ही नहीं किए गए। विभाग की ओर से दिए जवाब में कहा गया कि 3921 हेक्टेयर क्षेत्र खाली करवा लिया गया है। जबकि 5624 हेक्टेयर वन क्षेत्र अब भी कब्जाधारी के कब्जे में है।

Dainik Jagaran 01.04.2017

कैग की चेतावनी, खर्चे कम करे प्रदेश सरकार

अगले सात वर्षों में चुकाने हैं कर्ज के 24 हजार करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, शिमला : नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक (कैग) ने चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल सरकार ने अपने खर्चे कम नहीं किए तो राज्य के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। कैग ने सरकार को याद दिलाया कि अगले सात वर्षों में 62 प्रतिशत कर्ज का भुगतान करना है। प्रदेश सरकार पर 39 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। सरकार को अगले सात वर्षों में इस कर्ज के 24 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं। सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है।

प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। उन्होंने शिमला में पत्रकारों से कहा कि सरकार को दूरगामी सोच के साथ काम करना होगा। फिलहाल केंद्रीय मदद हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हुई है। भारी घाटे की वित्तीय स्थिति से बाहर निकलते हुए हिमाचल 2015-16 में 990 करोड़ के राजस्व सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया। इसके बावजूद सरकार को राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने व खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है। सरप्लस इकोनमी के बावजूद प्रदेश की अपनी राजस्व प्राप्तियां महज 37 तथा केंद्रीय आर्थिक सहायता व करों में हिस्सेदारी 67 फीसद रही। जौहरी ने प्रदेश में खेती को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की आदत का उल्लेख किया है। भले ही राज्य सरकार यह बात मानने को तैयार न हो मगर सच यह है कि सरकार बाजार से अधिक कर्ज ले रही है।

कैग रिपोर्ट

- राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने व खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत
- बाजार से अधिक लिया जा रहा कर्ज, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा

शिमला मेंकैग की रिपोर्ट जारी करते माहा लेखा कार आरएम जौहरी ● जागरण

शिमला में भूकंप आया तो होगा भयावह नुकसान

जौहरी ने कहा कि शिमला के कई उपनगर 85 डिग्री के ढलान पर बसे हैं। भूकंप आने की स्थिति में इससे भयावह नुकसान होगा। हैती में अनियोजित निर्माण के कारण जिस तीव्रता के भूकंप से दो लाख लोगों की मौत हुई, न्यूजीलैंड में उसी तीव्रता के भूकंप से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वहां निर्माण नियोजित तरीके से किया गया था।

घाटे से निकाले जाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

प्रधान महालेखाकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को भी घाटे से निकालने के लिए प्रयास की जरूरत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को अपने संसाधन बढ़ाने होंगे। लाभ के रूटों पर अधिक बसें चलाई जानी चाहिए। स्टेट रोड टैक्स की वसूली पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने प्रति व्यक्ति कर्ज में बढ़ोतरी को भी चिंताजनक बताया। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में प्रति व्यक्ति कर्ज के नजरिए से सिक्किम व मिजोरम के बाद हिमाचल, तीसरे स्थान पर है जो अच्छी स्थिति नहीं है। केंद्रीय मदद पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार ने जो कर्ज लिया, उसमें से 32 फीसद राशि पहले से लिए कर्ज को चुकाने पर खर्च की गई।

कृषि व सिंचाई सुविधा में विस्तार से सुधरेगी आर्थिक सेहत : जौहरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने से छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की आर्थिक सेहत सुधर सकती है। प्रदेश में खेती व बागवानी से 70 फीसद से अधिक लोग जुड़े हैं। खेती को सबसे बड़ा संकट सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण झेलना पड़ता है।

हिमाचल में नदियों में पर्याप्त पानी है। बारिश के पानी का भी सही उपयोग किया जा सकता है। जलागम परियोजनाओं के जरिए सिंचाई सुविधाओं का बिस्तार किया जा सकता है। इससे खेती के जरिए शानदार उत्पादन हासिल किया जा सकता है। उन्होंने हिमाचल में अतिक्रमण की समस्या की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने चेताया कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल को ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन की जरूरत है।

सरकार के लिए मुमकिन नहीं कर्मचारियों का वेतन चुकाना »7

02.04.2017

सरकार के लिए मुमकिन नहीं कर्मचारियों का वेतन चुकाना

कैग रिपोर्ट : सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का बोझ भी बढ़ रहा, कर्ज का ब्याज बढ़ना भी सरकार के लिए मुसीबत

राज्य ब्यूरो, शिमला : विधानसभा में सरकार की ओर से नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन चुकाना मुमकिन नहीं है। वेतन में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी समस्या यह है कि नौकरी से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की पेंशन का बोझ भी बढ़ता जा रहा है।

सरकार के सामने तीसरी मुश्किल यह है कि कर्ज का ब्याज भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राज्य भारी घाटे की स्थिति में रहा। वर्ष 2014-15 में प्रदेश का राजस्व घाटा 1944 करोड़ रुपये रहा जो वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में 31 फीसद की बढ़ोतरी से यह सरप्लस में पहुंच गया। नतीजतन राजकोषीय घाटा 2014-15 के 4200 करोड़ रुपये से कम होकर 2165 करोड़ रुपये रह गया। एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक सरकार का राजस्व घाटा तीन प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए। केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय मदद मिलने व कर राशि का अधिक हस्तांतरण होने से न सिर्फ राजकोषीय घाटा कम हुआ बल्कि यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.96 प्रतिशत तक रहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2015-16 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 23440 करोड़ रुपये से बढ़कर 5597 करोड़ तक पहुंच गई। इसी वर्ष राज्य का कुल खर्च 28960 करोड़ रुपये तक पहुंचा जबकि राजस्व व्यय 22303 करोड़ हो गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साल 2011-16 के मध्य वेतन, ब्याज के भुगतान, पेंशन व उपदान पर खर्च में लगातार बढ़ोतरी की बात कही है। उक्त मदों पर वर्ष 2011-12 के 11027 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2015-16 में खर्च 16511 करोड़ रुपये हुआ। विकासात्मक व्यय 2014-15 के 64.10 प्रतिशत के मुकाबले 2015-16 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में सरकार के बाजार ऋण के हिस्से में बढ़ोतरी का उल्लेख भी किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों में 368 करोड़ रुपये का घाटा

शिमला : प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उपक्रमों में से आठ उपक्रमों में 368 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान यह घाटा हुआ है। कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में घाटा हुआ है, उनमें वे तीन उपक्रम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने लेखों को लाभ रहित और हानि रहित घोषित किया था जबकि नौ उपक्रमों में करीब 19 करोड़ रुपये का ही लाभ हुआ है। कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार के लिए सार्वजनिक उपक्रम घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। जिन उपक्रमों को मुनाफे में दिखाया भी गया है, उनका मुनाफा बहुत कम है। घाटे में चल रही सरकार और घाटे में चल रहे निगमों व बोर्डों में अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की फौज सरकार को और घाटे में ले जा रही है।

प्रदेश में 9545 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा

शिमला : कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 9545 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। मार्च 2016 तक 43086 मामलों में 640 करोड़ रुपये की 9545 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। वन विभाग द्वारा 18854 मामलों के अंतर्गत 263 करोड़ रुपये का 3921 हेक्टेयर क्षेत्र खाली कर लिया गया है।

एचआरटीसी ने निजी बस मालिकों को दिए मुनाफे के रूट

शिमला : एचआरटीसी ने मुनाफे के रूट निजी बस मालिकों को देकर अपना करोड़ों रुपये का घाटा किया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार एचआरटीसी ने 90 फीसद ऐसे रूट निजी बस मालिकों को दिए और अपने लिए केवल दस फीसद रूट ही लिए। लाभ वाले रूट निजी बस मालिकों को देने के कारण एचआरटीसी को 334 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ये रूट विशेष रूप से पर्यटन स्थलों व ऐसे शहरों में दिए गए हैं जहां पर बसों से आय बहुत अधिक रही है। प्रदेश में एचआरटीसी की 2827 और निजी 3330 बसें हैं। एचआरटीसी कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है।

हर हिमाचली 57642 रुपये का कर्जदार

कैग का खुलासा : पांच साल में 15000 रुपये से अधिक बढ़ा **कर्ज का बोझ,** नियमों के खिलाफ बांटी 2588 को छात्रवृत्ति

राज्य ब्यूरो, शिमला : [illegible]

एचआरटीसी में नहीं रुकी तेल माइलेज

[illegible]

गंभीर बीमारियों की चपेट में कैदी

राज्य ब्यूरो, शिमला : [illegible]

कैग रिपोर्ट

- [illegible]
- [illegible]

गंदे पानी से फैले रोग

[illegible]

दवा/स्वास्थ्य उपलब्ध पर चिकित्सा अधिकारी नहीं

[illegible]

बीमार कैदी नहीं रखे अलग बैरक में

[illegible]

दो करोड़ से अधिक फूंके, नहीं बना जैव विविधता पार्क

राज्य ब्यूरो, शिमला : [illegible]

फिजूलखर्ची के नाम साफ काट डाले 897 हरे पेड़, [illegible] करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का प्रदेश को नहीं मिला लाभ

[illegible]

Amar Ujala 01.04.2017

प्रदेश में बार-बार पॉलिसी लाने से भी बढ़ गया अवैध निर्माण

सीएजी ने प्रदेश में बढ़ते अवैध निर्माण के लिए सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

कहा, सरकार वर्ष 1997 से लेकर 2009 तक ही छह बार ला चुकी है पॉलिसी, वन भूमि की डिमार्केशन नहीं कर सकी सरकार, इसीलिए हुए सरकारी जमीन पर कब्जे

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला।

बार-बार रिटेंशन पॉलिसी लाने से सूबे में अवैध निर्माण बढ़ गया है। यह बात सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कही है। प्रधान महालेखाकार राममोहन जौहरी ने कहा कि सरकार 1997 से 2009 तक छह बार अवैध निर्माणों को राहत पहुंचाने के लिए रिटेंशन पॉलिसी ला चुकी है। सरकार की इसी नीति की वजह से प्रदेश में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। कैग ने वन भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों के लिए भी सरकार को जिम्मेदार माना है।

आपदा प्रबंधन पर तत्परता को लेकर हुए ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान महालेखाकार ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बताया कि ऑडिट के दौरान यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2013 की एक असेसमेंट रिपोर्ट में भूकंप जैसी आपदा के समय करीब चौदह लाख लोगों के गंभीर घायल होने का अनुमान जताया था, लेकिन इस रिपोर्ट को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कभी पेश ही नहीं किया गया।

शिमला के संजौली और कृष्णा नगर में भवन निर्माण में हुई नियमों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए कहा कि भले ही इन्हें नियमित कर दिया जाए, लेकिन आपदा होने पर बचाव करने में सरकार को ही भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कहा कि शहरों में भले ही टीसीपी और नगर निगम जैसी कई संस्थाएं शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के निर्माणों पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है।

कहा कि गांवों में अब तक आपदा प्रबंधन कमेटी तक नहीं बन सकी है। वहीं, अब तक लाइफ लाइन इमारतों की भी क्लासिफकेशन नहीं किया जा सका है।

इसके अलावा आग की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश की 3243 ग्राम पंचायतों में से महज 24 ग्राम पंचायतों में फायर पोस्ट स्थापित हो सके हैं। रिपोर्ट के अनुसार 28 साल में प्रदेश सरकार वन भूमि की डिमार्केशन तक नहीं कर सकी। इस वजह से जमीन पर कब्जे अतिक्रमण कर दिया।

परिवहन विभाग को विशेष पथकर जमा न कराने पर 1.53 करोड़ का लगा चूना

1 शिमला। परिवहन निगम और निजी बस मालिकों की ओर से परिवहन विभाग में विशेष पथ कर जमा न कराने पर 1.53 करोड़ का चूना लगा है। यह मामला वर्ष 2011-16 का है। हिमाचल के रूटों पर बसें चलाने पर परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों को हर महीने विशेष पथ कर जमा कराना होता है। विभाग की लापरवाही से न तो परिवहन निगम ने यह पैसा जमा कराया, न ही निजी ऑपरेटरों ने कर जमा कराने की हामी भरी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक कर जमा न कराने पर उपभोक्ताओं को 25 फीसदी वार्षिक दर से राशि वसूल की जानी चाहिए, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। विशेष पथकर में 15 बस परमिट को शामिल नहीं किया गया।

पैसा पड़ा रहा, नहीं बनाए पशु चिकित्सालय भवन

2 शिमला। वर्ष 2011 से 2016 के बीच प्रदेश सरकार ने पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण नहीं किया। इन भवनों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार के पास 20.21 करोड़ रुपये था। भवन बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास दो साल का समय था, लेकिन सरकार इस पैसे को खर्च नहीं कर पाई।

संबंधित खबरें पेज 9 पर भी पढ़ें...

सरकार ने केंद्र में जमा नहीं कराया पैसा

3 शिमला। केबल कंपनियों की ओर से हिमाचल में सड़कों के किनारे खुदाई की। सरकार ने कंपनियों से पैसा वसूल कर यह राशि केंद्र पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में जमा नहीं कराई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक यह राशि 117.20 करोड़ की है। इसी तरह जुलाई 2011 में 6 राष्ट्रीय राजमार्गों के टू लेन का काम होना था। पैसा होने के बावजूद निर्धारित समय में यह राशि खर्च नहीं हो पाई। सड़कों में कार्य की गुणवत्ता सही न पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

छात्रवृत्ति की राशि देने में शिक्षा निदेशालय ने किया गड़बड़झाला

4 शिमला। कैग की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा निदेशालय पर छात्रवृत्ति राशि के आवंटन में गड़बड़झाला करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि साल 2014-15 के दौरान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मानदंड को पूरा नहीं किया गया। 9.59 करोड़ की छात्रवृत्ति को नियमों के खिलाफ ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले 2588 विद्यार्थियों को दिया गया, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत नहीं थे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है।

कैग रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल को ऋण जाल की ओर धकेल रही सरकार

कर्ज चुकाने को सात साल खर्च करना होगा 62% राजस्व, केंद्रीय सहयोग बढ़ने से 2015-16 में घटा वित्तीय घाटा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला।

प्रदेश सरकार की कार्यशैली सूबे को ऋण जाल की ओर धकेल रही है। यह बात कैग रिपोर्ट में कही गई है। इसके अनुसार राज्य द्वारा अगले सात साल में 62 प्रतिशत ऋण का भुगतान करना अपेक्षित है। रिपोर्ट के अनुसार सूबे के हर व्यक्ति पर वर्तमान में 57 हजार 642 रुपये का कर्ज है। यह आंकड़ा साल 2011-12 के 40 हजार 904 रुपये की अपेक्षा करीब सत्रह हजार रुपये ज्यादा है। हालांकि, रिपोर्ट ने साफ किया है कि साल 2015-16 में केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में वृद्धि की वजह से प्रदेश का वित्तीय घाटा कुछ कम जरूर हुआ है। कैग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह केंद्र पर वित्तीय कार्यों के लिए निर्भर रहने की बजाय अपने खर्चों में कटौती करे।

शुक्रवार को विधानसभा में सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद प्रदेश के प्रधान महालेखाकार राम मोहन जौहरी ने प्रेस वार्ता कर रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी दी। बताया कि केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्ति बढ़ने से प्रदेश का घाटा साल 2014-15 की अपेक्षा साल 2015-16 में 4200 करोड़ से घटकर 2165 करोड़ हो गया है। भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने 364.57 करोड़ बजट के माध्यम से देने की बजाय सीधे कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। प्रदेश की कंपनियों और निगमों पर सरकार ने 31 मार्च, 2016 तक करीब 3 हजार करोड़ का निवेश किया, लेकिन उससे महज 3.68 प्रतिशत राजस्व सरकार को अर्जित हुआ। खास बात यह है कि इन निगमों कंपनियों के संचालन के लिए बाजार से उठाए कर्ज पर सरकार 7.89 प्रतिशत की औसत से ब्याज का भुगतान कर रही है।

जौहरी ने बताया कि साल 2010-11 से 2015-16 के बीच के करीब 7 हजार 904 करोड़ के व्यय को विधानसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है।

सुझाव, केंद्र पर निर्भर रहने की बजाय अपने खर्चों में कटौती करे सरकार

बिजली बोर्ड को 73 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि

शिमला। कैग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य बिजली बोर्ड को साल 2015-16 में 73 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई है। बोर्ड ने निर्धारित समय में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं किया। बोर्ड संविदाकारों से प्रवेश कर काटने में विफल रहा। सरकारी निर्देशों में निर्धारित राशि से कम राशि की बैंक प्रत्याभूति स्वीकृत करने और बार-बार की चूक के बावजूद उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलंब से 18.64 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली में विफल रहा। एक औद्योगिक उपभोक्ता को 39.49 लाख की वापसी पर देय साधारण ब्याज के स्थान पर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। बोलियों के गलत मूल्यांकन के चलते संविदाकार को 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। सामान्य ब्याज की गणना का प्रावधान ना होने से 1.44 करोड़ के ब्याज की अल्प वसूली हुई। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आबकारी शुल्क की छूट का दावा करने में विफलता के चलते 36.11 करोड़ के आबकारी शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ। ब्यूरो

अफसरों की खोली कलई, कम कर लगाने की वजह से खजाने को लगी करोड़ों की चपत

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कई विभागों की कलई खुल गई। आडिट रिपोर्ट के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल बैरियरों के पट्टादारों से करीब 51.40 करोड़ की राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, कई व्यापारियों पर कम कर व गलत दर लगाने की वजह से राजस्व अर्जन में कमी आई। वहीं, एक व्यापारी ने 6.91 करोड़ के भुगतान लायक प्रवेश कर के बजाय महज 3.40 करोड़ का भुगतान किया लेकिन विभाग ने कोई रिकवरी नहीं की। वहीं, 29 शराब लाइसेंस धारियों से 8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली की गई। इसके अलावा 451 बिक्री केंद्रों के लाइसेंस धारियों द्वारा 20 लाख प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर 5.34 करोड़ की अतिरिक्त फीस नहीं वसूली गई। विभाग ने केबल आपरेटरों पर मनोरंजन कर नहीं लगाया जिससे प्रदेश को 55 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

वहीं, भूमि लीज पर देते समय प्रावधानों का पालन कराने में विफल रहने की वजह से करीब 101 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा 10 करोड़ के निर्मित ढांचे के लिए गलत बाजारी दर लगाने के कारण .79 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई। वहीं, मोटर वाहन पंजीकरण और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के चलते 84.90 करोड़ का कम राजस्व अर्जित हुआ। साल 2012-13 से 2014-15 के लिए 11018 वाहनों के संदर्भ में 4.09 करोड़ के टोकन टैक्स की न तो मांग की गई और न ही वाहन स्वामियों ने इसे जमा किया। विभिन्न स्टेज कैरिजों व परिवहन निगम से करीब 1.53 करोड़ का विशेष पथ कर नहीं वसूला गया। ब्यूरो

Divya Himachal 01.04.2017

कर्ज के जाल में हिमाचल

कैग की रिपोर्ट, सात साल में 62 फीसदी ऋण का करना है भुगतान

- चार साल में प्रति व्यक्ति ऋण 3729 रुपए बढ़ा
- 41197 करोड़ से पार हो चुका है कर्ज बोझ
- पूंजीगत खर्च को सरकार ने नहीं दी अहमियत

■ विशेष संवाददाता, शिमला

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें वित्तीय स्थिति को आरामदायक करार नहीं दिया गया है। कैग ने दो टूक कहा है कि प्रदेश इस नाजुक स्थिति के चलते 'डेब्ट ट्रैप' यानी ऐसे ऋण जाल में फंसने की स्थिति में है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। हिमाचल को लगातार बढ़ते ऋण बोझ के कारण आगामी सात वर्षों के अंदर 62 फीसदी ऋण का भुगतान करना होगा, जिसे कैग ने कोई आरामदायक स्थिति करार नहीं दिया है। प्रदेश में 31 मार्च, 2016 तक ऋण बोझ का आंकड़ा 41197 करोड़ था, जोकि जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 176 फीसदी रहा। लोक ऋण का आठ प्रतिशत (2268 करोड़) आगामी वर्ष में भुगतान योग्य है, 38 प्रतिशत (10567 करोड़) आगामी पहली से पांच वर्षों तक भुगतान योग्य है, जबकि 54 प्रतिशत 15075 करोड़ पांच वर्षों में भुगतान किया जाना आवश्यक है। कैग ने दो टूक कहा है कि इन्हीं सब के नतीजतन इस पूरी अवधि के दौरान सरकारी बजट पर बोझ पड़ेगा, जिससे हिमाचल ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। वर्ष 2014-15 के 1944 करोड़ के राजस्व घाटे के

कर्ज के जाल : पृष्ठ दो पर

कर्ज के जाल...

मुकाबले 2015-16 के दौरान राजस्व खर्च में 13 फीसदी की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी के चलते राजस्व अधिशेष में परिवर्तित होकर 1137 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 के 4200 करोड़ से घटकर 2015-16 में 2165 करोड़ हो गया। 14वें वित्तायोग की संस्तुति के चलते केंद्रीय सहायता से राजस्व प्राप्तियों में जोरदार बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2014-15 में 1351 करोड़ का प्राथमिक घाटा और 2015-16 के दौरान अधिशेष 990 करोड़ में बदल गया। कैग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने पूंजीगत खर्च को अहमियत नहीं दी, क्योंकि कुल खर्च के प्रति पूंजीगत खर्च का प्रतिशत अनुपात 2014-15 में 10.88 और 2015-16 में 11.17 रहा, जो कि 2014-15 में 15.27, 2015-16 में 13.95 के विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से कम था। कैग का कहना है कि 2015-16 में 0.29 फीसदी प्वाइंट की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह विशेष श्रेणी राज्यों की औसत से 2.78 फीसदी प्वाइंट तक कम था।

कैग ने घेरा आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिकारियों की गलती से राजस्व को नुकसान

■ वरिष्ठ संवाददाता, शिमला

प्रदेश के महालेखाकार ने राज्य के आबकारी एवं कराधान महकमे पर निशाना साधा है। कई मामलों में विभाग द्वारा गलत तरीके अपनाकर सरकार को चूना लगाया गया है। कैग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कई मामलों का खुलासा किया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा गंभीरता नहीं बरती गई और राजस्व का नुकसान करवाया गया है। विधानसभा में शुक्रवार को पेश की गई कैग रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिक्री और व्यापार पर कर तथा मूल्य वर्धित कर, जो कि 51.40 करोड़ रुपए बनता था, उसे वसूल नहीं किया गया है। 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणा को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 प्रतिशत लागू योग्य दर के स्थान पर चार से 11 प्रतिशत की गलत दर लागू की गई, जिस कारण से सरकारी राजस्व को 0.54 करोड़ रुपए की राशि कम हासिल हुई है। इसके साथ 0.41 करोड़ रुपए का ब्याज भी वसूल नहीं किया जा सका है। अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट, रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में 47.90 लाख के कर की कम वसूली हुई है। वहीं 41.83 लाख का ब्याज भी लिया जाना था, जो कि नहीं लिया जा सका। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक व्यापारी ने 6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश के प्रति 3.40 करोड़ रुपए के प्रवेश कर का भुगतान किया। 3.51 करोड़ रुपए कम वसूल हो सके। इस राशि की वसूली नहीं हो पाई, जिस पर सवाल उठाया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप 0.83 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई है। विभाग पर आरोप है कि उसने 29 लाइसेंसधारियों से 8.59 करोड़ रुपए की कम लाइसेंस फीस वसूल की है। 451 बिक्री केंद्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर कम शराब उठाने के लिए अतिरिक्त फीस 5.34 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की गई, जिसके साथ 0.54 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए था।

चुस्ती से काम करने की सलाह

विभाग ने केबल आपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क भी नहीं लगाया जिससे 0.55 करोड़ रुपए का राजस्व आ सकता है, जो कि नहीं आया। कैग हर साल अपनी रिपोर्ट में इस विभाग की कमियों को उजागर करता है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में उसे सलाह दी है कि विभागीय कार्यप्रणाली को चुस्त बनाया जाए।

एनएच की खुदाई के पैसे से खरीद ली गाड़ियां

टेलीकॉम कंपनियों ने पीडब्ल्यूडी को दी थी रकम, 1.20 करोड़ से ले लिए वाहन

▪ विशेष संवाददाता, शिमला

कैग ने लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। नेशनल हाई-वेज के किनारे दूरसंचार कपंनियों ने आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मुहिम शुरू की थी। वर्ष 2016 में यह साल भर चलती रही। इसकी एवज में टेलीकॉम कंपनियों ने लोक निर्माण विभाग को जो करोड़ों की रकम दी थी, उसमें से महकमें ने 1.20 करोड़ की राशि डाइवर्ट कर वाहन खरीद लिए। यही नहीं, 117.20 करोड़ की राशि डिपाजिट हैड में रखे रखी, जबकि इसे केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को जमा करवाया जाना था। कैग का कहना है कि नियमों में यह प्रावधान है कि इस राशि को वहां जमा करवाना आवश्यक रहता है। यही नहीं, 1316 किलोमीटर लंबाईयुक्त नेशनल हाई-वेज में मरम्मत का कार्य मार्च 2016 तक पूरा ही नहीं किया जा सका था।

क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल

कैग ने दो टूक कहा है कि लोक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल मेकेनिज्म प्रभावी नहीं है। अधिशासी अभियंता ऐसे क्वालिटी टेस्ट व कार्यों के निरीक्षण करने में असफल रहे, जो कि आवश्यक थे। स्टेट क्वालिटी कंट्रोल विंग द्वारा 111 निरीक्षणों में से 2011 से 2016 के बीच ऐसे 74 कार्य डिफेक्टिड थे, जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सका था।

काम पूरे ही नहीं कर पाए

985.79 करोड़ से 119 कार्य मंजूर हुए थे, जो 31 मार्च, 2016 तक पूरे करने थे, मगर 39 कार्य पूर ही नहीं हुए।

169.20 करोड़ खर्चे नही

विभाग को वर्ष 2016 में 759.91 करोड़ रुपए कार्यों के लिए 2011 से 2015 के बीच जारी किए, मगर लोक निर्माण विभाग इस अवधि में 590.71 करोड़ की ही राशि खर्च कर सका। इस तरह से 169.20 करोड़ की राशि खर्च नहीं की जा सकी।

आपदा प्रबंधन के 18.96 करोड़ रुपए डाइवर्ट

▪ विशेष संवाददाता, शिमला

कैग ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां की हैं। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की 18.96 करोड़ की राशि अनियमित तरीके से ऐसे कार्यों पर डाइवर्ट कर दी, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित ही नहीं थे। कैग द्वारा वर्ष 2011 से 2016 के लिए राजस्व विभाग का परफार्मेंस आडिट किया गया। इसका मकसद यह पता लगाना था कि महकमा आपदा प्रबंधन के लिए कितना सक्षम है। इस समीक्षा ने विभाग की कमजोर कार्यप्रणाली, संस्थागत व ढांचागत कमजोरियों को उजागर किया है। प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्लान, जिला आपदा प्रबंधन प्लान, सालाना की दर से अपडेट नहीं किए जाते हैं, जो कि आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के तहत लाजिमी है। प्रदेश के 41 महकमों में से 28 महकमों ने आपदा प्रबंधन प्लान ही जून, 2016 तक तैयार नहीं किया था। यहां तक कि विलेज आपदा प्रबंधन कमेटियों तक का जिलों में गठन नहीं हो सका था।

▪ 41 में से 28 महकमों ने सालाना आपदा प्रबंधन प्लान ही नहीं बनाया

लाइफ लाइन इमारतें ही नहीं

कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल आपदा प्रबंधन दृष्टि से संवेदनशील है। राज्य में ऐसी लाइफ लाइन बिल्डिंग्ज की पहचान ही नहीं की जा सकी है, जिन्हें रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार किया जा सके।

24 पंचायतों में ही फायर पोस्ट

कैग ने कहा है कि हिमाचल की 3243 ग्राम पंचायतों में से 24 में ही फायर पोस्ट स्थापित की जा सकी है। यही नहीं, 71 फीसदी अग्निशमन वाहन अच्छी स्थिति में पाए गए।

न सेहत का ख्याल, न पढ़ाई की परवाह

कैग रिपोर्ट में खुलासा, दूसरे कैदियों के साथ रखे जा रहे बीमार

▪ स्टाफ रिपोर्टर, शिमला

हिमाचल में कैदियों की शिक्षा व पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। यह खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में जेलों में स्वास्थ्य सुविधाएं और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इससे जेल विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे है।

कैग रिपोर्ट में जेलों की हालत पर सवाल खड़े किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जेलों में अलग सेंटर न होने की वजह से जेलों में कैदियों का अलगाव संभव नहीं हो पा रहा है। इससे विभिन्न रोगों से ग्रस्त कैदी ही बैरकों में दूसरे कैदियों के साथ रखे जा रहे है। हालात ऐसे हैं कि टीबी, स्कैबीज, दिल और किडनी रोगों से ग्रस्त कैदियों को एक ही बैरक में दूसरे कैदियों के साथ रखा जा रहा है। इससे जेलों में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में जिन 809 कैदियों की सैंपल के तौर पर जांच की गई, उनमें से 456 नए कैदी विभिन्न रोगों से ग्रस्त पाए गए, जो कि अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों में मेडिकल सुविधाएं अपर्याप्त है। वहीं जेलों में जो पानी आ रहा है उसकी टेस्टिंग भी नहीं की जा रही है। यह पानी पीने के लायक है या नहीं, इसकी जांच की कोई सुविधा जेल प्रशासन द्वारा नहीं प्रदान की गई। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश कैदियों के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

कायदे से कैदियों को कौशल प्रशिक्षण और उनकी शैक्षणिक स्तर में भी सुधार किया जाना था, लेकिन जेल विभाग ने यह सब नहीं किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 1116 कैदियों को सैंपल के तौर पर चुना गया। उनमें से 69 कैदियों ने ही जेल में शिक्षा पाई है। वहीं, 2013-16 तक जिन 786 कैदियों को रिलीज किया गया, उनमें केवल 50 को ही विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है इससे मॉडल जेल की अवधारणा ध्वस्त हो रही है। बहरहाल रिपोर्ट में जेलों में स्वास्थ्य सुविधाएं और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

▪ प्रदेश में कैदियों की शिक्षा-पुनर्वास के लिए नहीं उठाए जा रहे कदम

रिपोर्ट गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को बांट दी 9.59 करोड़ की छात्रवृत्तियां

शिक्षा विभाग के वजीफों में अनियमितताएं

▪ अंजना ठाकुर, शिमला

शिक्षा विभाग की ओर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्तियों के वितरण में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि विभाग की ओर से उन छात्रों को 9.59 करोड़ की छात्रवृत्तियां दे दी गईं, जो इसके पात्र ही नहीं थे। कैग रिपोर्ट के मुताबिक डाय की संवीक्षा में पाया गया कि निदेशक उच्च शिक्षा ने 2014-15 के दौरान 2588 छात्रों, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत पांच सस्थानों, जिनको विवि अनुदान आयोग द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के लिए पात्र मानदंड की पूर्ति नहीं करते थे, उन्हें छात्रवत्तियों के रूप में 9.59 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। स्पष्टत: निदेशक उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियों की स्वीकृति तथा अवमुक्ति से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नीति के अनुसार संस्थानों की प्रस्थिति का सत्यापन करने में विफल रहा। विभाग ने बताया कि (जून 2016) मामले को पुनर्सत्यापन के लिए संबंधित संस्थानों तथा बैंकों के समक्ष उठाया जाएगा और दो संस्थानों ने डुप्लीकेट भुगतानों की राशि लौटा दी है। मामला सितंबर, 2016 में सरकार को प्रेषित किया गया था। इस बारे में उत्तर ही नहीं दिया गया। दरअसल योजना के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मान्य प्राप्त संस्था में मात्र मान्यता प्राप्त पोर्ट मैट्रिकुलेशन व पोस्ट सेकेंडरी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

▪ कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में वजीफा मान्य नहीं

यूजीसी ने साफ किया है कि निजी विश्वविद्यालयों में ऑफ कैंपस अध्ययन केंद्रों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई है और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से अर्जित की गई किसी भी तरह की पात्रता छात्रवृत्तियों के लिए मान्य नहीं है।

02.04.2017

कैग की रिपोर्ट सरकारी विभागों का कारनामा, सालों तक पेंडिंग रहता है पैसा

बिना जमीन ही काम को पैसा जारी

▪ स्टाफ रिपोर्टर, शिमला

हिमाचल के सरकारी महकमों का हाल यह है कि निर्माण कार्यों के लिए उचित भूमि और अन्य जरूरी औपचारिकताओं के बिना ही धनराशि जा रही है। इससे सरकारी पैसे का फालतू व्यय हो रहा है और यह राशि भी कई साल तक पेंडिंग पड़ रही है। कैग ने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे ही फालतू व्यय का खुलासा हुआ है। सरकारी विभागों ने छह निर्माण कार्यों के लिए बिना फ्री लैंड के करीब 13.71 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इनमें से 1.57 करोड़ का व्यय बेकार गया और करीब 12.14 करोड़ रुपए कई सालों तक बिना काम के विभिन्न एजेंसियों के पास पड़ी रही। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बद्दी में आबकारी एवं कराधान विभाग के बैरियर में 1.37 करोड़ की लागत से सुधार किया जाना था। ठेकेदार ने

2009 तक इस पर 48 लाख खर्च किए और भूमि विवाद के चलते काम छोड़ दिया। 2016 तक इसका 89 लाख रुपए बाधित रहा। शिमला के हीरानगर में 5.24 करोड़ से मानसिक कमजोर बच्चों के लिए आश्रय भवन बनना था। शिमला में एक्सिलेंस आईटीआई का भवन 1.60 करोड़ रुपए से बनना था, इसके लिए मार्च 2009 से 12 तक 1.16 करोड़ रिलीज किए गए, इस पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन वह जगह ऐतिहासिक महत्त्व की थी, जिस कारण इसका काम 2011 में विवाद होने पर रोकना पड़ा। इस तरह 40 लाख का फालतू व्यय हुआ, जबकि 76 लाख बाधित हो गया। शिमला के कटासनी में 43 करोड़ से क्रिकेट स्टेडियम बनना था। इसके लिए पांच करोड़ रुपए 2007 में रिलीज हुए, लेकिन 2016 तक यह राशि इस्तेमाल नहीं हुई।

नियम तोड़े और 1.37 फालतू खर्च

सिरमौर के राजगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने के लिए 2011 में 50 लाख जारी किए गए, 2016 तक इस पर मात्र 5.84 लाख खर्च हुए बाकी राशि खर्च नहीं हुई। जयसिंहपुर में स्टेडियम की ब्यूटिफिकेशन व इसके आसपास दुकानें बनाने के लिए 2011-12 तक 70 लाख की राशि जारी की गई। इसमें से केवल 26.95 लाख ही दुकानों पर खर्च किए गए, जबकि स्टेडियम का काम 2016 तक शुरू नहीं किया गया। नियमों का उल्लंघन कर इन सब कार्यों पर 1.37 करोड़ का फालतू व्यय किया गया और 12.14 करोड़ रुपए काम करने वाली एजेंसियों के पास एक से नौ सालों तक पड़ी रही।

03.04.2017

रिपोर्ट कार्ड कैग रिपोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

पुलिस के पहुंचने का टाइम फिक्स नहीं

■ खुशहाल सिंह, शिमला

किसी भी अपराध के समय में पुलिस कितने समय में क्राइम सीन पर पहुंचे, इसके लिए कोई भी मापदंड हिमाचल में तय नहीं हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। कैग ने इससे पहले 2004-09 की अवधि के आडिट में रिस्पांस टाइम सहित कई अनुशंसाएं व आपत्तियां लगाई थीं, लेकिन कई साल बाद भी उन पर विभाग ने कोई काम नहीं किया। यही नहीं पुलिस माडर्नाइजेशन स्कीम के तहत केंद्र से मिले पैसों का भी पुलिस विभाग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2004-09 के पहले के ऑडिट में पाया गया था कि क्राइम सीन पर पुलिस के पहुंचने का समय तय नहीं किया गया है। कैग ने तब अपने ऑडिट में कहा था सरकार ने पुलिस का रिस्पांस टाइम तय नहीं किया है और न ही साइट पर जाने के समय को नोट करने के कोई दिशा निर्देश दिए हैं।

तब विभाग की ओर से कहा गया था कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। यानी पुलिस इसका कोई रिकार्ड नहीं रखती कि वह अपराध की सूचना मिलने पर अपराध स्थल पर कितने समय में पहुंची। अब 2016 के ताजा ऑडिट में कैग ने डीजीपी मुख्यालय, चार एसपी आफिसों, फारेंसिक लैब और 13 पुलिस स्टेशनों का टेस्ट चैक किया है। कैग ने पाया है कि पुलिस ने अपनी क्राइम डायरी में क्राइम साइट पर पुलिस के पहुंचने को नोट नहीं किया। क्राइम डायरी में इस तरह का रिस्पांस टाइम नोट करने का कोई तंत्र पुलिस नहीं बनाया है। यानी हिमाचल की पुलिस चाहे कितनी भी देर से अपराध स्थलों पर पहुंचे उसके लिए समय तय नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि विभाग पुलिस माडर्नाइजेशन स्कीम के तहत केंद्र से पैसों का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया है। अब ताजा आडिट 2011-16 में भी कमोबेश यही स्थिति है। कैग ने कहा है कि 2011-16 केंद्र के कुल 39.56 करोड़ के हिस्से के विपरीत हिमाचल को इस दौरान 20.98 करोड़ रुपए मिले। लेकिन प्रत्येक साल में केंद्र से मिले धन का 21 से 87 फीसदी तक हिस्सा खर्च किए बिना रह गया। कैग ने बताया है कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा पुलिस हाउसिंग के तहत विभाग को 93.70 करोड़ रुपए और हथियारों के लिए 1.18 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि पुलिस विभाग ने इस पैसे को पूरी तरह से खर्च किया दर्शाया है, लेकिन इस पैसे के इस्तेमाल का ब्यौरा काम करने वाली एजेंसियों से नहीं लिया गया।

केंद्र का पैसा हिमाचल में लैप्स

कैग की रिपोर्ट

बिजली बोर्ड	वाटरशैड प्रोजेक्ट
17.92 करोड़	60 फीसदी राशि नहीं हुई इस्तेमाल
मत्स्य विभाग	
1.18 करोड़	

सरकारी ढील...पीछे रह गए गांव

▪ वरिष्ठ संवाददाता, शिमला

पहाड़ी सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशैड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार खुलकर पैसा देती रही है। हैरानी की बात है कि हिमाचल इस राशि का सदुपयोग नहीं कर पाया, जिसका नुकसान गांवों के विकास पर सीधे रूप से पड़ा है। ग्रामीण विकास विभाग की इस कार्यप्रणाली को महालेखाकार ने रिपोर्ट में इंगित किया है, जिनका कहना है कि वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम में वर्ष 2013-14 के दौरान 60 फीसदी राशि को खर्च नहीं किया जा सका, जिसके कारण केंद्र सरकार ने अगले साल प्रदेश को इस कार्यक्रम के लिए पैसा नहीं दिया। इससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद भारत सरकार ने पूर्व में चलाए जा रहे वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं को बंद करने के आदेश दिए थे और बची हुई राशि को दिसंबर, 2015 के अंत तक वापस करने के लिए कहा गया था, मगर प्रदेश सरकार ने न तो वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम बंद किया और न ही जून, 2016 तक 12.79 करोड़ की राशि वापस की। विभाग ने वाटरशैड कार्यक्रम के तहत मिली धनराशि 20.80 करोड़ रुपए में से 3.50 करोड़ की राशि स्टाफ के वेतन भुगतान, परियोजना के मूल्यांकन व अनुश्रवण, वाहनों आदि पर अतिरिक्त रूप से खर्च कर दिए।

वाटरशैड कार्यक्रम के लिए दिया पैसा नहीं हुआ खर्च, विकास पर लगी ब्रेक

विभाग के लिए सुझाव

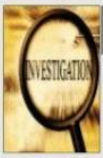

कैग ने रिपोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग को सुझाव दिए हैं कि वह जमीनी बुनियादी स्तर के इनपुट्स से योजनाएं तैयार करे, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में लोगों की आवश्यकताओं को पहचाना जा सके। ग्रामीण स्तर पर ग्राम वार वाटरशैड समितियों अथवा उपसमितियों के गठन द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन में लाभार्थियों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। निर्धारित अनुश्रवण तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने को कहा गया है तथा त्वरित संशोधनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित बनाने को कहा है। कैग ने लेखा परीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर, 2016 में भेजी थी, लेकिन दिसंबर, 2016 तक इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। समय पर जवाब नहीं मिलने को लेकर भी कैग ने आपत्ति जाहिर की है।

बिजली में 73.06 करोड़ का नुकसान

▪ वरिष्ठ संवाददाता, शिमला

प्रदेश के 14 शहरों में बिजली सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि का समय पर सही उपयोग नहीं हो सका। इस कारण प्रदेश को न केवल 73.06 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, वहीं 17.92 करोड़ रुपए की धनराशि लैप्स भी हो गई। प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा इस मामले में बरती गई ढील को कैग ने निशाने पर लिया है और उसके द्वारा योजनाओं के संचालन को दुरुस्त करने की बात कही गई है। कैग की ताजा रिपोर्ट में साफ हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के शहरों के लिए दी गई त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार योजना को सही तरह से क्रियान्वित करने में बिजली बोर्ड असफल रहा है। इस योजना के तहत जिन कंपनियों को बोर्ड ने काम सौंपा था, उनसे प्रवेश कर की वसूली की जानी थी, जो कि 8.64 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन ये राशि भी वसूल नहीं हो सकी। इन कंपनियों से बोर्ड पेनल्टी की राशि भी वसूल नहीं कर पाई है, जो कि 2.43 करोड़ रुपए की बनती है। बोर्ड ने इस योजना में 8.87 करोड़ रुपए की राशि व्यर्थ में ही गंवा दी। यह योजना अब केंद्र सरकार ने बंद कर दी है, जबकि यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण थी। बोर्ड ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, मगर वह इसका सही तरह से संचालन नहीं कर पाया। ऐसे में यह योजना तो बंद हो गई, लेकिन इसमें बोर्ड की कारगुजारियों पर सवाल खड़े कर दिए। कैग ने रिपोर्ट में बताया है कि इस योजना का लेखा परीक्षण अप्रैल से जुलाई 2006 के बीच किया गया है। इस योजना के शुरुआत में वर्ष 2009-10 में स्कीम के प्रति कोई राशि खर्च नहीं की गई थी और 2010-11 में मात्र 0.96 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया।

14 शहरों में वक्त पर नहीं हुआ काम

मत्स्य विभाग भी स्कीम में फेल

▪ सिटी रिपोर्टर, शिमला

प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए योजनाएं पूरा करने में मत्स्य विभाग विफल रहा है। योजनाएं पूरा करने के लिए विभाग को दी गई राशि में से 1.18 करोड़ की राशि का प्रयोग अभी तक विभाग द्वारा नहीं किया गया है। कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मत्स्य विभाग को मत्स्य विकास योजनाओं को सही तरीके लागू करने के लिए दी गई राशि का प्रयोग योजना के कार्यों के विपरीत किया है। इसके अलावा लाखों और करोड़ों की राशि ऐसी है, जिन्हें विभाग खर्च ही नहीं कर पाया है। मत्स्य विभाग को प्रदेश में परियोजना क्षेत्र में मछली और मात्स्यिकी संसाधनों की हानि को पूरा करने के लिए परियोजना उन्नयक ने शिमला जिला के रोहड़ू तहसील के तांगणू में मात्स्यिकी के विकास के लिए नवंबर 2009 में 68 लाख रुपए विभाग के पास जमा करवाए थे। इस राशि को इस योजना पर खर्च करने की बजाय मत्स्य पालन विभाग ने नवंबर, 2012 में इस राशि में से 27.09 लाख की राशि सोलन जिला के नालागढ़ में विभागीय मत्स्य फार्म में नलकूप सुविधा के निर्माण में खर्च कर दिया, जबकि अगस्त, 2016 तक इस योजना के तहत 40.91 लाख की राशि का प्रयोग विभाग किसी भी कार्य पर नहीं कर पाया है। मात्स्यिकी प्रबंधन योजना के लिए मिली एक करोड़ की राशि में से जारी की गई 50 लाख की राशि विभाग खर्च नहीं कर पाया है। इस योजना के तहत मात्स्यिकी प्रबंधन योजना के लिए वर्ष 2010 में 50 लाख विभाग को जारी हुए थे, लेकिन यह राशि विभाग ने जुलाई, 2016 तक योजना पर खर्च ही नहीं की। इस राशि का प्रयोग न होने के चलते 50 लाख की राशि भी मत्स्य विभाग को जारी नहीं हो पाएगी।

05.04.2017

रिपोर्ट कार्ड सुधर नहीं रही सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की स्थिति

पानी बिल के 280 करोड़ फंसे

▪ वरिष्ठ संवाददाता, शिमला

हिमाचल प्रदेश का सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग लोगों को पानी पिलाने के साथ सरकार को भी पानी पिला गया है। चार साल में विभाग द्वारा लोगों से लगभग 280 करोड़ रुपए के पानी के बिलों की बकाया राशि वसूल नहीं हो पाई है, जिस पर महालेखाकार ने सवाल उठाए हैं। आईपीएच विभाग पेयजल व्यवस्था में तो लगा है परंतु इसके प्रभारों की वसूली के लिए उसके पास कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। यही नहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाने में विभाग पूरी तरह से असफल रहा है। कैग की रिपोर्ट में विभाग की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं और विभाग को इसमें सुधार करने को कहा गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2013 से 2016 के दौरान लाभार्थियों से देय 371.77 करोड़ रुपए के पानी के बिलों की राशि में से 91.64 करोड़ रुपए की वसूली ही हो पाई। बकाया राशि अप्रैल 2013 में 167.05 करोड़ रुपए थी, जो कि मार्च 2016 तक बढ़कर 280.06 करोड़ रुपए तक हो गई है परंतु इसकी वसूली नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं दरों को गलत

तरीके से लागू किया गया, जिस कारण ग्रामीण घरेलु कनेक्शनों के संबंध में 2.95 करोड़ के जल प्रभारों का कम निर्धारण हुआ है। कैग ने ये भी कहा है कि आईपीएच विभाग ने पानी के बिलों को ऑनलाइन वसूल करने का जिम्मा लोकमित्र केंद्रों को सौंपा था, जिसे भी सही तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। आईपीएच विभाग ने पिछले साल प्रदेश में नए पानी के मीटर लगाने जाने का ऐलान किया था और फील्ड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। नए कनेक्शनों में पानी का मीटर

▪ पानी के मीटर भी नहीं लगा पाया महकमा

जरूरी बनाने के साथ पुराने कनेक्शनों में भी पानी के मीटर लगाए जाने की बात कही गई थी परंतु ऐसा नहीं हो सका है। इस पर कैग ने सवाल उठाया है और कहा गया है कि पानी के बिलों के लिए निर्धारित दरों पर वसूली को सुनिश्चित बनाया जाए क्योंकि इससे करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी राजस्व को हो रहा है, जिन शहरों के रिकार्ड को कैग ने खंगाला है, उनमें धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, नाहन, पालमपुर, शिमला, सोलन व सुंदरनगर के नाम शामिल हैं।

Dainik Savera 01.04.2017

सरकार को राजस्व खर्चों को नियंत्रित करने की दरकार

शिमला, 31 मार्च (धनंजय) : राजस्व के मामले में सरप्लस हिमाचल की की तस्वीर खींचने वाले नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने प्रदेश सरकार को राजस्व खर्चों को नियंत्रित करने की सलाह दी है। सूबे के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने कहा कि केंद्रीय मदद हिमाचल की अर्थ व्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भारी घाटे की वित्तीय स्थिति से बाहर निकलते हुए हिमाचल साल 2015-16 में 990 करोड़ के राजस्व सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने कहा

- **अर्थ व्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हुई केंद्रीय मदद**
- **राजस्व प्राप्तियों में 37 प्रतिशत राज्य, 63 फीसद केंद्र का हिस्सा**
- **कृषि क्षेत्र को सरकार के समर्थन की भारी जरूरत: जौहरी**

कि इसके बावजूद सरकार को राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने व खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है।

शिमला में प्रधान महालेखाकार आरएम जोहरी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए। (ओम)

कहा कि सरप्लस आर्थिकी के बावजूद प्रदेश की अपनी राजस्व प्राप्तियां महज 37 तथा केंद्रीय आर्थिक सहायता व करों में हिस्सेदारी 67 फीसद रही। जौहरी ने प्रदेश में खेती का सरकार के समर्थन देने की बात भी कही। जौहरी शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के ऋण जाल की तरफ बढ़ने का उल्लेख किया है। बेशक राज्य सरकार के गले यह बात न उतरे, मगर रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार बाजार से अधिक ऋण ले रही है। आगामी 7 सालों के भीतर सरकार को 62 फीसद ऋणों का भुगतान करना है। साल 2015-16 के ▸ शेष पृष्ठ 2 पर

सरकार को राजस्व...

दौरान सरकार ने ऋणों का राशि में से 32 फीसद पहले से लिए गए ऋणों के चुकाने के लिए प्रयोग में लाई। इससे पहले शुक्रवार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बीते माली साल की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 से 2014-15 तक राज्य भारी घाटे की स्थिति में रहा।रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में प्रदेश का राजस्व घाटा 1944 करोड़ रहा।

मगर साल 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में 31 फीसद की बढ़ोतरी की वजह से यह सरप्लस मे पहुंच गया। नतीजतन राजकोषीय घाटा 2014-15 के 42 सौ करोड़ से कम होकर 2165 करोड़ ही रह गया। एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक सरकार को राजस्व घाटा 3 फीसद तक

हरेक हिमाचली 57 हजार 642 का कर्जदार

शिमला, 31 मार्च (धनंजय) : सूबे के हर नागरिक करीब 57 हजार 642रुपए का कर्जदार है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। प्रति नागरिक के हिसाब से कर्ज का यह आंकड़ा साल 2011-12 के 40 हजार 904 रुपये था। कैग रिपोर्ट में उच्च शिक्षा निदेशालय पर छात्रवृत्ति राशि के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014.15 के दौरान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मानदंड को पूरा नहीं किया गया। 9.59 करोड़ की छात्रवृत्ति को नियमों के खिलाफ ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले 2588 विद्यार्थियों को दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत नहीं थे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। सूबे के प्रधान महालेखाकार आरएम जौहरी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने 364 .57 करोड़ बजट के माध्यम से देने की बजाय सीधे कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। प्रदेश की कंपनियों और निगमों पर सरकार ने 31 मार्च 2016 तक करीब 3 हजार करोड़ का निवेश किया। मगर महज 3. 68 प्रतिशत राजस्व सरकार को अर्जित हुआ। निगमों कंपनियों के संचालन के लिए बाजार से उठाए कर्ज पर सरकार 7.89 प्रतिशत की औसत से ब्याज का भुगतान कर रही है। जौहरी ने बताया कि साल 2010.11 से 2015.16 के बीच के करीब 7 हजार 904 करोड़ के व्यय को विधानसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है।

डैड माइलेज से 2.14 करोड़ का घाटा

कैग रिपोर्ट के अनुसार परिहवन सेवाओं को अतिरिक्त डेड माइलेज के कारण 2ण्14 का घाटा हुआ। यह घाटा 5 वर्ष के दौरान अतिरिक्त डेड माइलेज के कारण पाया गया। इसी तरह पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के दौरान लक्ष्यों की अनुपब्धि के कारण 73ण्06 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

81. 95 करोड़ की वसूली नहीं हुई

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित की विफलता के कारण 81 .95 लाख रुपए की वसूली नहीं हो पाई। महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ। इस कारण 1ण्44 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एचआरटीसी की बसें जरूरत से ज्यादा तेल पी गईं। इससे निगम को करीब 240 करोड़ का चूना लगा। कैग रिपोर्ट के अनुसार एचआरटीसी ने 2011-16 के बीच अखिल भारतीय औसत की तुलना में 498.38 लाख के ईंधन की अधिक खपत की। इससे 240.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

02.04.20172

2 करोड़ गर्क, नहीं बना बायो डायवर्सिटी पार्क

काट डाले 897 पेड़ नतीजा जीरो, 38.66 करोड़ के प्रोजैक्ट का सूबे को नहीं लाभ

शिमला, 1 अप्रैल (धनंजय शर्मा) : सरकारी सुस्ती के कारण बेहतर परियोजनाओं से कैसे हाथ धोना पड़ता है, कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हिमाचल के सोलन जिला में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर बायो डायवर्सिटी पार्क बनना था। पार्क बनाने का जिम्मा एनवायरनमेंट साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का था। केंद्र सरकार ने 38.66 करोड़ से बायो डायवर्सिटी प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया था। ये 12 साल पहले की बात है। बायो डायवर्सिटी पार्क को 2006-07 तक तैयार करना था। दस साल बीत गए, पार्क तो नहीं बना, अलबत्ता फलतू में 2.07 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पार्क के निर्माण में 897 हरे पेड़ भी काट डाले गए। पर्यावरण का नुकसान हुआ, दो करोड़ रुपए की रकम भी डूबी और नतीजा शून्य रहा।

केंद्र सरकार ने देने थे 9 करोड़

प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 9 करोड़ रुपए खर्च करने थे। राज्य सरकार को 7.55 करोड़ रुपए वहन करने थे और बाकी के 22.11 करोड़ निजी भागीदार ने खर्च करने थे। मार्च 2007 के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलना था। आरंभ में ही केंद्र सरकार ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपए दे दिए। हिमाचल सरकार ने भी वर्ष 2004 से 2008 के दौरान 2.21 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन इस रकम का कोई लाभ नहीं हुआ। शुरू में यह पार्क सोलन के कोटला बड़ोग में स्थापित होना था। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए कोई निवेशक नहीं मिला। बाद में परियोजना स्थल को नालागढ़-स्वारघाट मार्ग पर अडूवाल में शिफ्ट किया गया। ये फरवरी 2008 की बात है। हैरानी की बात है कि सरकार ने कंसल्टेंसी के लिए सितंबर 2009 में एक एजेंसी को 45.73 लाख रुपए भी दे दिए, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ और तो और केंद्र सरकार की मंजूरी और 1.27 करोड़ रुपए जमा करने पर भी तयशुदा भूमि पर न तो कोई पौधा रोपा गया और न ही वन भूमि का कोई लाभ उठाया गया। इस तरह एनवायरनमेंट साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बायो डायवर्सिटी पार्क स्थापना में नाकाम रहा और करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए।

कैग ने खोली सूबे में आपदा प्रबंधन की पोल

शिमला, 1 अप्रैल (धनंजय शर्मा) : सरकार ने राज्य में अवैध निर्माणों को नियमित करने को लेकर बेशक कानून बनाया हो, मगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सूबे में आपदा प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में संवेदनशील माने जाने वाले राज्य में पंचायतों में अग्निशमन चौकियां तक न होने की बात भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से 18 करोड़ से अधिक की रकम ऐसे कार्यों पर खर्च करने की बात कही गई है जो प्राकृतिक आपदा में शामिल ही नहीं थे। राज्य में अवैध निर्माणों को नियमन का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है। पक्ष व विपक्ष दोनों ही अवैध निर्माणों को नियमित कर लोगों को राहत देने के मामले में एकमत हैं। मतैक्य की वजह भी सभी जानते हैं। अलबत्ता लोग अवैध भवनों को नियमित करने की फीस कम करने की गुहार लगातार लगा रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को विधान सभा में प्रस्तुत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खोली है। रिपोर्ट में प्रदेश के भूकंप जोन 5 व चार में स्थित होने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि 2011- 2016 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से 6345 लोगों की जानें गईं। 30 हजार 184 पशुओं की मौत हुई। सरकार आपदा प्रबंधन के मामले में कितनी संजीदा है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते साल जून तक प्रदेश के 41 में से 28 विभागों में आपदा प्रबंधन योजनाएं ही नहीं बनी। आपदा प्रबंधन योजनाएं न होने का खुलासा कैग ने रिपोर्ट में किया है। गांव में आपदा प्रबंधन कमेटियों के न होने के साथ साथ कैग ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ को बीते साल जून तक आपदा संबंधि प्रशिक्षण न देने की बात भी कही है। लाइफ लाइन भवनों की रेटरो फिटिंग न होने तथा भूकंप रोधी भवनों का निर्माण ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित न होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने पर उठाए सवाल, अधिकांश पंचायतों में अग्निशमन चौकियां तक नहीं

Pvt operators push HRTC in the red: CAG

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, APRIL 9

The Comptroller and Auditor General (CAG) report from 2011-16 has put the State Transport Department and the Himachal Roads Transport Corporation (HRTC) on the mat for their failure to provide a "safe and efficient transport for public".

While the HRTC's losses mounted to over Rs 1,018.64 crore from 2011 to 2016, the State Transport Department gave private operators free run to make fast bucks, allowing them to operate their vehicles on profitable routes.

Also, the corporation failed to create the state-of-art-workshops for safe public transport and the department failed to put in place speed governors and vehicle tracking system, revealed the CAG report tabbed in the Vidhan Sabha last week. The report accessed by The Tribune revealed that the HRTC operated its fleet of 2,827 buses on just "10 profitable routes". On the other hand, the department allowed private operators to ply 3,345 buses on 90 per cent of profitable routes.

The reason: The department fixed "no criteria and made no clear-cut policy for safe and efficient transport for five lakh passengers," revealed auditors. The state government also failed to put in place a mechanism to share the burden of uneconomical routes between the HRTC and private operators. The bids for the profitable routes would have generated more revenue for state, the auditors observed.

CAG exposed the hollow claims of Transport Minister GS Bali that the HRTC would set up workshops. The auditors detected inconsistency in recording "dead km", a distance a bus travels from the ISBT to the parking space at Jagatpur.

Exposes claims

- Govt runs 2,827 buses on just 10 profitable routes/ Private firms minting money on 90 pc routes
- The HRTC's losses mount to over Rs 1,018.64 crore from 2011 to 2016
- CAG exposes the hollow claims of Transport Minister GS Bali that the HRTC would set up hi-tech workshops
- The department has failed to put in place speed governors and vehicle tracking system

Himachal Pradesh buildings vulnerable to collapse, do not follow safety norms

By IANS | Updated: Apr 04, 2017, 02.02 PM IST

There are 1.477 million houses (166,000 urban and 1.311 millionrural) in the state as per the 2011 census, the auditor said in a report tabled in the state assembly last week.

SHIMLA: Nearly 90 per cent of buildings, mainly houses, in rural areas of Himachal Pradesh do not follow safe construction rules. In Shimla, 83 per cent out of a sample of 300 selected buildings are highly vulnerable to collapse if there is a major earthquake. This is the frightening reality of a performance audit on disaster management, with specific focus on earthquake and fire, conducted by the Comptroller and Auditor General (CAG) to ascertain the state's preparedness.There are 1.477 million houses (166,000 urban and 1.311 millionrural) in the state as per the 2011 census, the auditor said in a report tabled in the state assembly last week. It said construction of houses in urban areas is regulated by the provisions of the Town and Country Planning Act, the Municipal Corporation Act and local bodies' regulations and building bye-laws. However, construction of buildings and houses in rural areas (89 percent of total houses) is not regulated by any act or regulation. Construction of seismic-resistant buildings in rural areas has, thus, not been ensured as of June 2016, the CAG observed. Himachal Pradesh is prone to various types of disasters. The central government has identified 25 types of hazards to which the state is prone. This is a wake-up call for authorities as seismic sensitivity of the state is high. Seven out of 12 districts have over 25 per cent of their area falling in seismic zone V (very high damage risk). The remaining parts fall in seismic zone IV (high damage risk). The state also experiences disasters in the form of forest and building fires with 8,534 fire incidents reported from 2011 to 2016, causing an estimated loss of property valued at Rs 451.30 crore and the deaths of 6,345 people. Taking notice of haphazard development in

Shimla, where most of the buildings are "precariously hanging" on the steep slopes and clinging to one another, the auditor said the state Town and Country Planning Rules allows the maximum acceptable slope for construction of a building of 45 degrees. The Shimla Municipal Corporation and the Town and Country Planning Department have not maintained records in the past six years pertaining to enforcement of regulation on the maximum acceptable slope of 2,459 buildings in Sanjauli, Krishna Nagar, Kangnadhar and other areas in Shimla. Sanjauli is a congested locality on Shimla's outskirts where the dead often have to be lifted out of homes with ropes after a disaster.

"Haphazard construction of buildings with no space for providing relief and rehabilitation may result in abnormally high causalities during disasters," the CAG warned.

It blamed ineffective enforcement of regulations that enabled flourishing of unauthorised constructions in Shimla that were subsequently regularised by paying fines.

Quoting a study conducted by the local civic body through the National Institute of Technology of Hamirpur from April 2014 to July 2016, the CAG said 249 (83 per cent) of the 300 selected buildings in Shimla were found to be unsafe.

In the absence of an authoritative structural safety audit of lifeline buildings in the state, the vulnerability of buildings to disaster could not be assessed, it said.

Similarly, lifeline buildings have not been identified for retrofitting to withstand seismic activity. The construction of seismic-resistant buildings and houses in rural areas had not been ensured till June last year. Planned for a maximum population of 16,000, the Queen of Hills, as Shimla was fondly called by the British, now supports 236,000, as per the provisional 2011 census figures. The CAG also picked holes in the state's infrastructure to respond to a disaster. Emergency operation centres are yet to be fully equipped with communication systems and village disaster management committees have not been established in every district, it said. Despite Rs 20.26 lakh being spent, the emergency operation centre in Shimla is yet to be made operational. The centre lacked communication equipment like satellite phones, VSAT (very small aperture terminal) links and HAM radio sets till June 2016. The CAG slammed the state for lack of disaster response force.

The government released Rs 1.15 crore in February 2015 for procuring equipment for imparting training on disaster management to new entrants to the police force. "Neither the state disaster response force was constituted nor the funds were utilised to procure equipment required to train the new entrants into the police. The entire amount of Rs 1.15 crore remained unutilised," the CAG said. As for community-based disaster preparedness, the CAT found that no village disaster management committee has been established in the gram panchayats, except in Kullu district. There are 3,243 gram panchayats comprising 20,960 villages in the state. Interestingly, a disaster management plan in the Health Department was prepared in 2014 but no training on mass casualty management, trauma care and emergency medicine was imparted to doctors and para-medical staff till last June.

Himachal fails to demarcate 54% of forests: CAG

It observed that against 20.63 lakh hectares forest area targeted to be demarcated, 11.04 lakh hectares (54%) had not been demarcated even after lapse of more than 28 years.

By IANS|New Delhi | Updated: 7 April 2017 5:02 PM

Himachal Pradesh has not been able to demarcate 54% of its forest area in 28 years and there are over 15,000 cases of encroachments despite high court strictures, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has said.

It said there was encroachment of 9,545 hectares of forest land involving 43,086 cases in the state till March 2016.

These facts came to light in an audit of records relating to encroachment of forest land from 2013 to 2016 conducted by the CAG.

It observed that against 20.63 lakh hectares forest area targeted to be demarcated, 11.04 lakh hectares (54%) had not been demarcated even after lapse of more than 28 years.

A total of 15,409 cases of forest land encroachments involving 3,572 hectares were pending in revenue and forest courts till March last year.

Fencing work of the vacated forest areas could not be carried out and Rs 46.76 lakh towards cost of fencing was not recovered from encroachers in accordance with directions of the state High Court, the CAG said in a report tabled in the assembly session.

Out of 35.91 lakh hectares of forest area owned by the forest department, 9,545 hectares of forest area valued Rs 640 crore involving 43,086 cases was encroached upon till March 2016.

Of this, 3,921 hectares involving 18,854 cases valued at Rs 263 crore had been evicted by the department, whereas 5,624 hectares of forest area involving 24,232 cases valued at Rs 377 crore was still in the possession of encroachers till March last year.

Even the CAG observed encroachments in reserved forests.

The report said 222 hectares of reserve forest land was encroached by offenders (871 cases) till March 2016. However, damage reports were issued only in 233 cases involving 83 hectares of encroached land.

It also picked holes over lapses in registration of criminal cases against the encroachers.

The high court ordered in February 2016 that FIRs (first information reports) should be registered in all cases of encroachments on forest land within eight weeks from the date of order.

In the test-checked divisions, it was noticed that FIRs were not registered in 3,872 cases involving encroachments of less than 10 bighas, measuring total 793 hectares as of June 2016.

The department attributed non-registration of FIRs to staff being busy in eviction process of encroachments.

Official sources said that expressing anguish over improper compliance of its directive about removing encroachments mostly by fruit growers’ on forest land, the high court in March last year directed the state government to act in the letter and spirit of the order.

A division bench of Chief Justice Mansoor Ahmad Mir and Justice Tarlok Singh Chauhan had said any departure from the directions shall be dealt with in terms of the Contempt of Courts Act of 1971.

Observing that the orders passed by the court were not followed as expected, the judges said a specific reference was made in the order dated July 27, 2015, to prune the apple trees.

Besides clearing the encroachment by fruit growers on forest land, the high court had said electricity and water connections of encroachers should be disconnected.

The case of encroachments in forest areas is still pending in the high court.